International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences
Volume – 9 Issue – 1 January-June 2021 (Special Issue)
Website: www.woarjournals.org/IJGAES *ISSN: 2348-0254*

मोतीलाल नेहरू के आर्थिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवाओं संबंधी विचार

महेन्द्र कुमार
रिसर्च स्कॉलर इतिहास विभाग
सिंघानिया विश्वविद्यालय, बडी पचेरी, झुंझुनूं, राजस्थान

आर्थिक विचार

मोतीलाल नेहरू ने अपने जीवन के लगभग तीस वर्ष से भी अधिक राष्ट्र सेवा में व्यतीत किया था। उन्होंने तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थितियों को पूरी तरह समझा था और विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर अपने विचार अनेक अवसरों पर प्रकट किये। उन्होंने अंग्रेज सरकार की कर नीति, देश में मजदूरों की हड़ताल, जहाजरानी और सरकार की मुद्रा नीति आदि विषयों पर विचार प्रकट किये थे। वे सामाजिक समानता के समर्थक थे। उनका मानना था कि यह समानता आर्थिक स्तर पर भी होनी चाहिए। वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, जीवनपर्यन्त वे जनसाधारण के हितों और अधिकारों की रक्षा में लगे रहे। वे मानते थे कि जब जनसाधारण की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी देश तरक्की करेगा और राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। उनके यही विचार सन् 1905 में इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू को लिखे उनके पत्र से पता चलते हैं। उन्होंने लिखा कि 'स्वदेशी आंदोलन इस युग का आश्चर्य है, इससे हजारों स्थानीय उद्योग–धंधे उत्पन्न हो गये हैं।' उन्हें आषा थी कि स्वदेशी आंदोलन से जनसाधारण की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

उन्होंने कौन्सिल में 1910 और 1912 के बजट प्रस्तावों पर अपने भाषण में बताया कि राजस्व में अत्यधिक वृद्धि का कारण मुकदमेबाजी में अत्यधिक वृद्धि होना है। राजस्व में लगातार वृद्धि होने की वजह से जनता पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। वहीं उन्होंने प्रतिज्ञापत्र प्रणाली द्वारा मजदूरी के लिए लोगों को देश से बाहर ले जाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मार्च 1917 में संशोधित आर्थिक वक्तव्य पर बोलते हुए कहा कि बंधुआ मजदूर के रूप में प्रवास स्वयं में एक बुराई है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों को दूर देशों में ले जाया जाता है जहां उनसे अमानवीय स्थितियों में मजदूरी कराई जाती है जहां न सरकार और न जनता उनके अधिकारों की रक्षा तथा उनकी रक्षा की गारंटी लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रतिज्ञा पत्र प्रणाली पर होने वाले खर्च के बारे में नहीं बल्कि इस बुराई को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए।

मोतीलाल जी ने गवर्नर जनरल के द्वारा जारी किये गये इस आदेश की आलोचना की कि युद्ध काल में ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी न बनाई जाए। इस संदर्भ में उन्होंने सन् 1918 में भगवानदास को एक पत्र में लिखे प्राइवेट स्टॉक कंपनी और पब्लिक ज्वाइंट कंपनी का अन्तर बताया। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक क्षेत्र में मोतीलाल जी के स्पष्ट विचार थे। सन् 1925 में मोतीलाल जी ने विनिमय और मुद्रा के प्रश्न पर एक कमेटी स्थापित करने की मांग की क्योंकि करेन्सी कमीशन रिपोर्ट ने रूपये को 1s.6d पर निर्धारित किया है परन्तु सर पुरूषोत्तम दास ने इसे 1s.4d पर उचित बताया है। इस मामले पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में करोड़ों रूपये साधारण तरीके से देश के बाहर भेजे गये हैं और यह तरीका था – विनिमय को अपने पक्ष में मोड़ करके और अंग्रेज निर्माताओं और व्यापारियों के लिये आयात कर प्रणाली को परिवर्तित करके इस नीति से देश का आर्थिक शोषण हो रहा है और भारतीय रूपया लगातार देश से बाहर जा रहा है, जो कि देश की आर्थिक उन्नति में काम आना चाहिए।

फरवरी 1927 में 'पायोनियर' अखबार में लिखा कि स्वराज दल में फूट पड़ गयी है। उसने इसका कारण बताया कि कांग्रेस ने स्वराजवादियों को 16 पैनी अनुपात में बांध दिया है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। 14 फरवरी 1927 को मोतीलाल जी ने कहा कि रूपये का अनुपात एक तकनीकी विषय है, कांग्रेस ने सोलह पैनी के अनुपात की बात कही थी, मैंने इस बात को मान लिया है। मोतीलाल जी वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी कभी फूट नहीं पड़ने देते थे और देश सेवा में लगे रहते थे। 16 फरवरी 1927 को ही स्टील इंडस्ट्री संरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इंग्लैंड के सामान को प्राथमिकता दी गई है। इसमें भारत की स्टील इंडस्ट्री को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। इससे सिर्फ इंग्लैंड को आर्थिक लाभ होगा तथा भारत का आर्थिक शोषण।

मोतीलाल जी मानते थे कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सभी भारतीयों को राष्ट्रहित के लिए एक मत रहना चाहिए। उन्होंने जवाहरलाल को लिखा कि करेन्सी के प्रश्न पर जिन्ना के मुसलमान साथियों ने सरकार का समर्थन किया है। करेन्सी बिल 1927 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूपये और पाउण्ड के उतार–चढ़ाव के संबंधों के विषय में वे चुप रहेंगे। मोतीलाल जी ने एस. एस. जलदूत जहाज की लांचिंग के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा आशा व्यक्त की कि भारत में ऐसे जहाज बनने लगेंगे। उन्हें

आशा थी कि इससे भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ेगा तथा उसकी आर्थिक उन्नति होगी। अंग्रेज सरकार भारतीय समुद्री यातायात आरक्षण बिल द्वारा भारतीय समुद्री यातायात का आरक्षण अंग्रेजों के हित में करना चाहती थी, मोतीलाल जी ने इसका विरोध किया। 13 सितंबर 1928 को भारत के समुद्री यातायात के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि यह भारतीय हितों के विरूद्ध है। वास्तव में एक भारतीय व्यापारिक समुद्री बेड़ा होना चाहिए, जो भारत के हित में कार्य करे तथा भारत की आर्थिक उन्नति में सहायक हो।

मोतीलाल जी ने कहा कि 'भारत की आमदनी के सभी स्रोत अंग्रेजों के पास हैं। इसलिए सभी उद्योग–धंधे उन्नति नहीं कर सकते हैं।' अंग्रेज सभी स्रोतों का उपयोग इंग्लैंड के हित में करते हैं। भारतीय जहाजरानी को अंग्रेजों के हित में उसी प्रकार नष्ट किया गया है जैसे भारत के सबसे बड़े उद्योग कॉटेज इंडस्ट्री को किया गया। सैनिक तंत्र हिन्दुस्तान में रखा गया है।.... भारतीय कॉमर्स और इंडस्ट्री में वर्तमान मंदी और किसान की कम क्रयशक्ति इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने रूपये को 1s.4d to 1s.6d तक बढ़ा दिया है।.... यदि सरकार को भारत के हितों की चिंता होती तो वह भूमिकर को 12.5 प्रतिशत तक घटा देती और भारत में आने वाले आयात पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगा देती। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को रोटी चाहिए। विदेशों से आयात किये गये सिद्धान्तों से उनको कोई मतलब नहीं है। प्रयोग करने का उनके पास समय नहीं है।

उन्होंने सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीति के बारे में कहा कि भारत में करों की अधिकता रही है। स्वराजवादियों ने तीन वर्षों में करों को माफ करवाया है, यह प्रतिवर्ष नौ करोड़ रूपये था। भारी करों का भार खर्चीले प्रशासन खास तौर से अत्यधिक सैनिक खर्चों के कारण भारत में रहा है। सरकार की मौद्रिक नीति के कारण रूपये की कीमत नकली तौर पर बढ़ाई गई है। इससे मजदूर और किसानों के वेतन वास्तव में कम हो गये हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज दल प्रयास करेगा कि भारत में सही गोल्ड स्टेन्डर्ड साथ में स्वर्ण के लिए एक मुक्त बाजार तथा स्वर्ण सक्रिय चलने में हो। उन्होंने कहा कि उनका स्वराज दल बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्य राष्ट्रीय उद्योग–धंधों को संरक्षण दिलवाने का कार्य जारी रखेगा। सरकार ने रेल किराये में भारी वृद्धि की है। रेलवे के किराये में कमी करवा के कृषि और उद्योग–धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से संरक्षण दिलवाने का पूर्ण प्रयास करेगा।

मोतीलाल जी ने कहा कि मेरे देश का बिल मेरी सहमति के बिना नियन्त्रित है और उसका शासन एक विदेशी शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर मुझे आपत्ति है। उन्होंने रेल का वेगन का प्रश्न उठाया।

भारत में सेना सेफ्टी बिल पर प्रश्न उठाये और इनको भारत के हितों के विरूद्ध बताया। उन्होंने मजदूरों पर रॉयल कमीशन तथा बैंकिंग जांच की भी आलोचना की। 24 सितंबर 1929 को उन्होंने 'टिन प्लेट' उद्योग से सरकारी संरक्षण हटाने की बात का उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने बताया कि पांच महीने से हड़ताल चल रही है। हड़तालियों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग हैं। इनमें मजदूर, क्लर्क, एकाउन्टेंट तथा अन्य लोग हैं। वहां पठानों और हड़तालियों में लड़ाई हुई थी। पुलिस ने हड़तालियों पर लाठियां चलाई तथा उनको घरों तक दौड़ाया और कुछ को घरों में घुसकर भी मारा। इस नाइन्साफी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने टिन प्लेट कंपनी के हड़तालियों के लिए सरकार द्वारा एक बोर्ड आफ कन्सीलिएशन बनाने की मांग की। वहीं मोतीलाल जी के प्रयासों से मई 1930 में आगरा कपड़ा व्यापारियों ने अपने विदेशी कपड़े को बंद कर देने का वायदा किया।

मोतीलाल जी के कार्यों से उनके विचारों के दर्शन होते हैं। वे आधुनिक युग के नवीन प्रगतिशील विचारों में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। वे जीवन पर्यन्त देश की स्वतंत्रता और उन्नति के लिये कार्य करते रहे। वे मानते थे कि देश की उन्नति तभी होगी जब देश आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा तथा देश आर्थिक रूप से संपन्न तभी बनेगा जब देश के वित्तीय साधनों पर देश की जनता का शासन होगा ना कि किसी विदेशी शक्ति का जो देश के वित्तीय साधनों का तथा जनता का अपने हित में शोषण करें। इस शोषण से मुक्ति और देश की उन्नति के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। फिर चाहें वह किसी सरकारी योजना, प्रस्ताव या बिल का विरोध हो या विदेशी वस्तुओं का त्याग और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना हो, या फिर भारत में नयी तकनीकी का प्रयोग हो और उन नयी तकनीकों का भारत की उन्नति और हित में प्रयोग का प्रश्न हो या भारतीय मुद्रा को सशक्त बनाने का प्रश्न हो।

चिकित्सा

पंडित मोतीलाल नेहरू के ज्ञान और विद्वता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। उनकी विद्वता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी तथा उनकी विद्वता उनके विचारों से प्रकट होती है। उनके विचारों में दृणता थी। उनके हर विषय पर अपने मौलिक और निश्चित विचार थे। चिकित्सा पद्धति पर भी उनके अपने विचार थे। ब्रिटिश भारतीय कौन्सिलों तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और यूनानी चिकित्सा पद्धति को भारत में बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उन्होंने प्रचलित

भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा की थी जिसनें किसी पर्दानशीन महिला को बिना देखे भी उसका इलाज संभव था, ऐलोपेथी की बजाए वे भारतीय चिकित्सा पद्धति को इसीलिए ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी मानते थे।

आगरा और अवध की यूनाइटेड प्रोविन्सेज की कौन्सिल में 23 नवंबर 1911 में आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने इन पद्धतियों की प्रशंसा की और कहा कि ये पद्धतियां भारत की केवल प्राचीन चिकित्सा संस्थाएं ही नहीं है बल्कि आज भी इनकी प्रासंगिकता उतनी ही है। अनगिनत पाश्चात्य अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरीज के बावजूद इन पद्धतियों का अपना महत्व है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब पश्चिम की वैज्ञानिक चिकित्सा इलाज में फायदा नहीं दे पाई परन्तु इन पद्धतियों से जो इलाज किया गया उसने मर्ज को ठीक कर दिया। उन्होंने हकीमों द्वारा नाड़ी को समझने का एक उदाहरण दिया कि जब एक पर्दानशीन औरत ने अपने हाथ को हकीम को छूने से रोक दिया तब उस महिला की कलाई पर एक धागा बांधा गया और दूसरे सिरे को हकीम ने अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच पकड़ा और नाड़ी की गति जानकर बता दिया कि उसे क्या बीमारी है।

मोतीलाल जी डॉक्टरों के अधिकार तथा सम्मान के प्रति जागरूक तथा चिन्तित थे। उन्होंने सन् 1917 में चिकित्सा बिल, 1916 पर विचार प्रकट किये और कहा कि वे सहमत हैं कि धारा 27 एवं 28 के बगैर एक डाक्टर अपने विरूद्ध मेडिकल कौन्सिल द्वारा की गई कार्यवाही पर न्यायालय से सीमित मात्रा में ही मदद पा सकेगा। उस डॉक्टर की मानहानि को पूरा करना भी कठिन होगा। वहीं सरकार की गलत नीतियों की उन्होंने खुलकर आलोचना की। सन् 1925 में उन्होंने कहा कि अफीम के संदर्भ में सरकार की नीति का स्वराज दल कड़े शब्दों में विरोध करता है और निन्दा करता है। अफीम का प्रयोग दवा और वैज्ञानिक कार्यों में किया जा सकता है। यह बात उन्होंने जनरल बजट पर अपने एक प्रस्ताव में कही।

मोतीलाल जी भारत में चिकित्सा और स्वरूप के प्रति पूर्ण जागरूक थे। वे भारत में चिकित्सक तथा चिकित्सा पहुंचाने के समर्थक थे। वे चिकित्सा की आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रशंसक थे। वहीं वे भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी सरकारी संरक्षण दिये जाने के समर्थक थे। वे मानते थे कि ये पद्धतियां आज भी उतनी ही उपयोगी और कारगर हैं। वे चिकित्सा के विकास के साथ–साथ चिकित्सक के अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील थे। वे उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने का पूर्ण प्रयास करते थे। वे अफीम जैसी वस्तुओं के दुरूपयोग को रोकने और सिर्फ दवा के रूप में प्रयोग को ही मान्यता देते थे। फिर इसके लिए उन्हें सरकार का कितना भी विरोध करना पड़े और सहना पड़े।

सार्वजनिक सेवाऐं

उत्तर भारत का अत्यंत जागरूक नगर इलाहाबाद पंडित मोतीलाल नेहरू के व्यावसायिक जीवन का केंद्र बना। इलाहाबाद नगर प्रान्तीय सरकार की राजधानी था (1920 तक) यहां प्रान्तीय उच्च न्यायालय था तथा देश का चौथा विश्वविद्यालय यहीं स्थापित हुआ। स्वतंत्र पेशा अपनाने और उसमें असाधारण सफलता प्राप्ति से सार्वजनिक जीवन में मोतीलाल नेहरू का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय राजनीति तत्कालीन सार्वजनिक जीवन का आधार थी। इससे सभी सार्वजनिक कार्य राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ गये और मोतीलाल नेहरू भी शहरी सार्वजनिक जीवन से प्रतिबद्ध होने के साथ–साथ राष्ट्रीय अभियान से जुड़ते चले गये। किसी भी संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति के लिए ऐसा झुकाव स्वाभाविक ही था।

पंडित मोतीलाल नेहरू के आरंभिक क्रियाकलापों से यह सिद्ध हो जाता है कि अपने सार्वजनिक जीवन में पहले उन्होंने नगरीय और प्रान्तीय स्तर पर कार्य किया और इसके बाद वे राष्ट्रीय कार्यों की ओर आगे बढ़े। किसी भी राष्ट्र का आधार उसकी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं। सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन भेदभाव रहित तथा निष्पक्ष होना चाहिए परन्तु सभी सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था।

मोतीलाल जी ने अप्रेल 1913 में भारत में सार्वजनिक सेवाओं के विषय में उन्होंने रॉयल कमीशन के सामने लिखित और मौखिक गवाही दी। उन्होंने भारत और इंग्लैंड में एक ही समय पर आई.सी.एस. की परीक्षाएं कराने की वकालत की तथा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा घटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार का यह भय गलत है कि भारतीय सिविल सेवा में छा जायेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीयों को वहीं पर आई.सी.एस. में बैठने की अनुमति मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे भारत लौट कर परीक्षा दें। उन्होंने मांग की कि आई.सी.एस. के सदस्य नियुक्ति के प्रथम 3 वर्षों में न्यायिक सेवा के लिए अपनी रूचि प्रकट कर सकते हैं। तब उनको कार्यपालिका संबंधी या पुलिस के कार्य ना सौंपे जाये। उन्होंने प्रादेशिक सेवा के सदस्यों के लिए 'लिस्टेड पदों' की चर्चा की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के जज के पद के लिए मैं किसी कार्य, किसी सेवा या समुदाय विशेष (मुसलमान आदि) की वकालत नहीं करूंगा, मैं केवल योग्यता पर ध्यान देने के लिए कहूंगा। उन्होंने सैनिक अधिकारियों

में से यू.पी. के लिए सिविल सेवा अधिकारी चुने जाने के प्रस्ताव पर विरोध जताया तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय इतिहास तथा हिन्दू और मुस्लिम लॉ को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। वे प्रान्तीय सिविल सेवा नौकरियों में 25 प्रतिषत से अधिक मनोनयन पर सहमत नहीं थे और इसमें किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या के आधार पर (मुस्लिम आदि) ही अगर मनोनयन आवश्यक हो तो भी 75 प्रतिशत पद खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जायें। प्रान्तीय सिविल सेवाओं में सभी वर्गो तथा सभी समुदायों को खुला अवसर मिलना चाहिए, एक समान पद के लिए सभी सदस्यों को एक समान वेतन व भत्ते मिलने चाहिए। उन्होंने सभ्य भारतीयों के विरूद्ध कानून के दुरूपयोग की शिकायत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं जिलाधीश के सामने नहीं। उन्होंने सरकारी खर्चे की तरफ भी ध्यान दिलाया और कहा कि पुलिस विभाग पर सबसे अधिक खर्चा हो रहा है।

मोतीलाल जी ने राजपूताना, सेन्ट्रल इंडिया और अजमेर मेरवाड़ा के राजनीतिक सम्मेलन के सभापति के रूप में दिये गये अपने भाषण में कहा कि नौकरशाही भारतीयों के साथ भेदभाव व उनका अपमान करती है, वह जानबूझकर जनता पर अत्याचार करती है और दोष राजाओं पर लगता है। उन्होंने कहा कि हम स्वराज से पहले खिलाफत और पंजाब की समस्या को हल करना चाहते है। उन्होंने भारतीय राजाओं से स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का असहयोग आंदोलन सरकार के विरूद्ध है, उनके विरूद्ध नहीं है। एंग्लो इंडियन तथा इंडियन माडरेट्स नौकरशाही का साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जा रहा है, पहले प्रश्न होता था कि सार्वजनिक सेवाओं में कितने भारतीय भर्ती किये जाये। अब बदली हुई परिस्थितियों में यह पूछा जाता है कि कितने कम से कम अंग्रेज अब भी भर्ती किये जायें।

भारतीयों की योग्यता तथा क्षमताओं को अंग्रेजों के आगे बहुत कम आंका जाता था फिर चाहे वह भारतीय चिकित्सा सेवा हो जहां भारतीयों के साथ बहुत अधिक भेदभाव होता था या फिर सेना में भर्ती या प्रशिक्षण। सेना में उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं लिया जाता था। तर्क यह दिया जाता था कि भारतीय प्रशिक्षित नहीं है। वे अपने देश की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मोतीलाल जी ने भारत में 19 फरवरी 1925 में भारत में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना पर बोलते हुए कहा कि भारतीय सेना में एक दम से सारे अफसर भारतीयों को नियुक्त करने की बात नहीं कही जा रही है। भारतीय केवल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत में उत्तरदायी सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सैनिक और असैनिक जातियों में भारतीयों का वर्गीकरण अलग है। उन्होंने कमाण्डर–इन–चीफ से अपील की कि भारत में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना करे। इससे भारतीय अपने देश की रक्षा करने के काबिल धीरे–धीरे होंगे।

भारत में रेल सेवा को भी स्थापित यह कह कर किया गया था कि भारत का विकास किया जा रहा है और इसके विकास से देश उन्नति करेगा, उद्योग धंधे फलें फूलेंगे। परन्तु वास्तव में रेलवे का विकास भी अंग्रेजों ने इंग्लैंड के ही हित में किया था। इसके विकास में सारा भारतीय धन लगा था परन्तु फायदा इंग्लैंड को हो रहा था। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी कि भारतीय उद्योग धंधे विकसित होने की बजाय नष्ट हो रहे थे रेल के विकास से। 25 फरवरी 1925 को मोतीलाल जी ने रेलवे बजट पर एक प्रस्ताव रखा जो शिकायतों पर आधारित था। उन्होंने इसके लिए ग्रीवान्सेस बिफोर सप्लाइज का सिद्धान्त बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, रेलवे बोर्ड में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। रेलवे की व्यवस्था गारण्टीड रेलवे पद्धति से शुरू की गई थी जो शोषण पर आधारित थी। रेलवे के विकास से पूरी तरह देश का शोषण हो रहा है। हम इसके मालिक नहीं है बल्कि इसके असली मालिक तो इंग्लैंड में रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों मिलियन रूपया हम गारण्टीड रेलवे कंपनी को ब्याज के रूप में दे चुके हैं। पिछले वर्षों में उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड के कार्यों से देश का आंतरिक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने रेल के मालभाड़े में मनमाने परिवर्तन की शिकायत की। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ की समस्या बतायी। भारतीय यात्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। यात्री ट्रेनों में लटककर, सीढ़ियों में बैठकर या छत पर बैठकर जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब कभी इंग्लिश स्टील और महाद्वीपीय स्टील के बीच प्रतिस्पर्धा हुई तब इंग्लैंड की स्टील को महंगा होते हुए भी पसंद किया गया। मोतीलाल जी ने रेलवे बोर्ड को व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार बनाने की मांग की, बोर्ड में कम से कम एक भारतीय सदस्य हो तथा किराये में कमी करने और यात्रियों की समस्याओं को हल करने की मांग की। उन्होंने रेलवे के भारतीयकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि वे सदन में इस संदर्भ में प्रस्ताव को वापस लेने की बजाय पराजित होना पसंद करेंगे।

मेतीलाल जी ने आजीवन देशवासियों की समस्या को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण का हमेशा विरोध किया फिर चाहे वह भारतीय सिविल सेवा हो या प्रान्तीय सिविल सेवा या चिकित्सा सेवा हो या फिर सेना और रेलवे, सभी जगह उन्होंने भारतीय जनता को बराबरी का दर्जा दिलाने, उनके सम्मान की रक्षा करने और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों व शोषण को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सभी सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण करने

और उन्हें भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि देश का पैसा बाहर न जाए बल्कि देश की उन्नति और तरक्की के काम आए।

शिक्षा

मोतीलाल जी शिक्षा के विकास और प्रसार के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील थे। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया था कि उनका बचपन अभाव और कठिनाईयों में बीता था। पिता के अभाव में उनका लालन पालन और शिक्षा बड़े भाईयों के घर पर हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा खेतड़ी, कानपुर व इलाहाबाद में रहकर पूर्ण की थी। उन्होंने वकालत में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और अपार धन अर्जित किया। उनके जीवन के प्रति सिद्धान्त स्वतंत्रता और उन्नति के थे तथा दृष्टिकोण तर्कपूर्ण था। वे जीवन में अपनी अपार सफलता के लिए अपने खुले विचारों और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को जिम्मेदार मानते थे और ये शिक्षा द्वारा विकसित हुए थे। इसलिए वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण मानते थे। वे भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों और शोषण के लिए जिम्मेदार कारणों में उनकी अशिक्षा को एक बहुत बड़ा कारण मानते थे। वे शिक्षा के विकास से राष्ट्रीय चेतना की जाग्रति चाहते थे जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आएगी।

मोतीलाल जी ने शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य किये। उन्होंने 13 मार्च 1913 में यूनाइटेड प्रोविन्स की कौन्सिल में लेजिस्लेटिव कौन्सिल के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना का समर्थन किया। उसी दिन उन्होंने अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी समर्थन किया। वे उस युग में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए चिन्तित थे। उन्होंने महिलाओं के लिए शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता बढाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलकर ट्रेनिंग कक्षाएं शुरू किये जावे जिनसे कि सर्टिफाइड अध्यापक हर जगह उपलब्ध हो जायें। लड़कियों के स्कूल के लिए अतिरिक्त सहायता देने की वकालत की।

मोतीलाल जी शिक्षा के महत्व के साथ साथ यह भी जानते थे कि गरीब अशिक्षित भारतीय जनता शिक्षा के महत्व को नहीं समझती है, वे आजीविका मुश्किल से कमा पाते हैं तो शिक्षा पर कुछ खर्च कैसे करेंगे। इसीलिए सन् 1916 में उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रश्न पर सरकार से विचार करने का आग्रह किया। एक विशेष शिक्षा कर (सेस) लगाये जाने की भी वकालत की। परंतु अंग्रेज सरकार ने भारतीय जनता की शिक्षा की तरफ ध्यान हीं दिया। सरकार से शिक्षा के विकास के लिए बार–बार आग्रह पर भी भारत की जनता को निराशा ही मिली। मोतीलाल जी समझ गए कि सरकार जानबूझ कर शिक्षा का विकास नहीं चाहती है और इसीलिए इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। उन्होंने सन् 1928 में अपने एक साक्षात्कार में कहा कि 'भारत में अज्ञान है। ग्रेट ब्रिटेन जिन राज्यों पर अधिकार करता है वहां की जनता को अज्ञान में रखता है जिससे वे जागरूक न बनें।'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1928 के राष्ट्रीय सम्मेलन में जब भाषा के प्रश्न पर विवाद उठा तो मोतीलाल जी ने कहा कि भाषा के प्रश्न पर उत्तेजित होने की (हिंदी भाषा से संबंधित) जरूरत नहीं है। हिन्दी और उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है विवाद का नहीं। भाषण हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में दिये जा सकते हैं। शिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा के प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षा के प्रसार और उन्नति के लिए शैक्षिक नीति को होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सुशासित देश की पहली चिन्ता एक अच्छी शैक्षिक नीति का निर्धारण होना चाहिए। एक अच्छी शैक्षिक नीति के द्वारा ही देश की उन्नति और विकास की दिशा निर्धारित होती है।

शिक्षित व्यक्ति खुले दिमाग से विचार कर पाता है, तथ्यों को तर्क पूर्ण दृष्टिकोण से परखा जाता है। जब भारत में धीरे–धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा और विद्यार्थी शिक्षित होकर देश और उसकी समस्याओं के बारे में सोचने लगे तब राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व तेजी आई। अब विद्यार्थी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। मोतीलाल जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और मजबूती देने के लिए बम्बई के विद्यार्थियों से कहा कि– आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा इस समय आंदोलन में उतरने की है तभी सरकार लकवाग्रस्त हो जायेगी।

मोतीलाल जी शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अपने अन्त समय तक जुटे रहे उन्होंने इसके लिए पूर्ण सामर्थ्य से कार्य किया। उनके इन निस्वार्थ प्रयत्नों के बहुत अच्छे परिणाम रहे। धीरे–धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में होने लगा। जैसा कि वे मानते थे शिक्षित व्यक्ति समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं तथा देश की समस्याओं को हल करने में अपना योगदान दे सकते हैं, वैसा ही हुआ। शिक्षित वर्ग ने समाज और देश की समस्याओं को समझा। उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या देश को विदेशी शक्ति के हाथों से स्वतंत्र कराने की थी। शिक्षित वर्ग ने जिस तीव्रता से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, राष्ट्रीय आंदोलन में उतनी ही तेजी आई। धीरे–धीरे राष्ट्रीय आंदोलन जन–जन का आंदोलन बन गया।

सामाजिक विचार

किसी भी देश के लिए उसका समाज उसका आईना होता है। स्वतंत्रतापूर्व भारतीय समाज अनेक बुराईयों से ग्रसित था। अनेकों कुरीतियां जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुर्नविवाह का निषेध, सती प्रथा, जाति प्रथा आदि, अनेकों कर्मकाण्डों तथा आडम्बरों, अनेकों अंधविश्वासों तथा विदेश जाने पर प्रतिबन्ध जैसी अन्य अनेक कुप्रथाएं समाज में विद्यमान थी। समाज पूरी तरह से अशिक्षा के जाल में जकड़ा हुआ था। ऐसे में इन सामाजिक बुराईयों का विरोध करने की बात भी सोचने का मतलब था समाज से बहिष्कार। धर्म और उससे जुड़ी हुई कुरीतियां ही सामाजिक जीवन का पर्यायवाची बन गए थे। ऐसे समाज में मोतीलाल जी का जन्म हुआ जो बचपन से ही बड़े साहसी, दृढ़ निश्चयी और सत्य के लिए परिस्थितियों के आगे न झुकने का साहस रखने वाले व्यक्ति थे। वे शिक्षित और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनके विचार दृढ़ थे। वे परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने में विश्वास रखते थे न कि खुद उनके अनुसार बदलने में। जब उन्होंने देश और समाज की परिस्थितियों को समझा तब उन्होंने समाज में फैली इन सभी बुराईयों को समाज से दूर करने और सभ्य, शिक्षित तथा स्वस्थ समाज की स्थापना का निश्चय किया और वे अपनी इस कोशिश में जीवनपर्यन्त लगे रहे।

वे मानते थे कि एक स्वस्थ समाज ही स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र 'भारत' की स्थापना कर सकता है। देश को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम पहले अपने इन सामाजिक बंधनों से आजादी प्राप्त करें।

मोतीलाल जी के विचारों का खुलापन उनके कार्यों और व्यवहार में स्पष्ट दिखता है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैरिसन फाकनर ब्लेयर ने उनको नाश्ते पर बुलाया तो उन्होंने अपने पत्र में ब्लेयर महोदय को लिखा कि उनके साथ नाश्ता करने में उनको कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वहीं इसी वर्ष मोतीलाल नेहरू यूरोप गये थे। वहां से लौटने पर उनसे शुद्धिकरण या प्रायश्चित करने को कहा गया क्योकि उस समय विदेश यात्रा पर सामाजिक प्रतिबंध थे। उन्होंने पृथ्वीनाथ चक को 22 दिसंबर 1899 को इलाहाबाद में एक पत्र लिखा जो खास तौर से व्यक्तिगत और गोपनीय था। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाये मैं प्रायश्चित जैसी तुच्छ मूर्खतापूर्ण कार्यवाही नहीं करूंगा।

मोतीलाल जी भारतीयों में छिपी प्रतिभा को पहचानते थे जिसे अनेकों बार सामाजिक बंधनों की वजह से विकास का मौका नहीं मिल पाता। वे मानते थे कि भारतीय किसी भी तुलना में अंग्रेजों से कम नहीं है बल्कि उनसे ज्यादा योग्य साबित होंगे यदि उन्हें भी अंग्रेजों की तरह खुला वातावरण और विकास के अवसर मिले तो। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि एक भारतीय लड़का अपनी उम्र के बराबर के अंग्रेज लड़के से ज्यादा विचारवान होता है। भारतीय बच्चों में जितनी प्रतिभा होती है उतनी शायद कहीं और नहीं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें वो सामाजिक शैक्षिक वातावरण देने की जिसमें वे विकास कर पाए। इसके लिए जरूरत है सामाजिक सुधारों की। अप्रैल 1909 में यूनाईटेड प्रोविन्सेस का सामाजिक सम्मेलन हुआ। इसमें प्रेसीडेन्ट के पद से बोलते हुए मोतीलाल नेहरू ने कहा 'सामाजिक सुधार मेरे विचार से राजनैतिक सुधार के बहुत अपमानित माता–पिता हैं।' दूसरे शब्दों में वे सामाजिक सुधारों राजनैतिक सुधारों का जनक मानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुधार राजनैतिक सुधार के साथ–साथ या इसके पहले होने चाहिए। उन्होंने कहा मैं पहले भारतीय हूं और बाद में एक ब्राह्मण। उन्होंने जातिवादी संगठनों की आलोचना की और कहा कि यह स्वयं जाति व्यवस्था पर आधारित है इसलिए इनसे जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, विधवा विवाह, विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध, मुसलमान बने हिन्दुओं को पुनः हिन्दू बनाना, दलितों की स्थिति में सुधार और पर्दा प्रथा जैसी सभी समस्याओं को लोगों को ढंग से शिक्षित करके हल की जा सकती है। उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया और उनके लिए नये स्कूल खोलने की बात कही। उन्होंने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा। जिला स्तर पर भी सामाजिक सुधार समितियों के गठन की वकालत की। वहीं उन्होंने फर्रूखाबाद और इटावा की अपराधी जातियों के द्वारा की जा रही लूटमार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है।

पर्दाप्रथा पर उनके विचार हमें सालिग्राम जी को 7 मार्च 1913 को लिखे गए पत्र से भी पता चलते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'चेहरे से ही पर्दा नहीं हटाना है बल्कि दिमाग से भी पर्दा हटाना है।' उन्होंने बताया कि शहरों और कस्बों में ही मुस्लिम प्रभाव है। गांवों में नहीं है। गांवों में सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिक भावनाएं नहीं पहुंची है। वहां अभी सामाजिक जटिलताएं इतनी अधिक नहीं है। वे ऐसे सभी रीति रिवाजों का विरोध करते थे जिनसे सामाजिक कुरीतियां जन्म लें। उन्होंने मार्च 1919 में जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि मैंने इलाहाबाद के हिन्दुओं की एक सार्वजनिक सभा बुलाई जिसका उद्देश्य होली के दौरान होने वाली गंदी हरकतों को रोकना था। समाज में भाईचारा बना रहे, सामाजिक विभाजन न हो, जहां तक संभव हो विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच वैमनस्य खत्म हो, मनमुटाव न रहे, इसकी मोतीलाल जी हमेशा कोशिश करते रहते थे। मार्च 1923 में उन्होंने पंजाब का दौरा किया।

वहां मलकाना राजपूतों की समस्या थी और शुद्धि आंदोलन चल रहा था। मुस्लिम मजदूरों का हिन्दू बहिष्कार कर रहे थे। कूंचा–बंदी चल रही थी। यह निर्णय हुआ कि सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समुदाय दूसरे समुदाय का बहिष्कार न करे तथा धर्म परिवर्तन में अनुचित साधनों का प्रयोग या शक्ति का प्रयोग न हो। उन्होंने अक्टूबर माह में जनता से गलत लोगों (सहधर्मी) का विरोध करने का आवाह्न किया। उनके आवाह्न पर देवबन्द के मौलाना मो. उजैर, बी.जे. पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे सौ नेताओं के हस्ताक्षर थे।

मोतीलाल जी ने कहा कि सांप्रदायिकता वास्तव में 'रोटी और मछलियों' से संबंधित है। अर्थात् सांप्रदायिकता भौतिक लाभ से संबंधित है। उन्होंने कहा कि 'धर्म का कोई भी बड़ा रूप हो हमारे दैनिक जीवन में यह संकीर्णता, असहनशीलता, कट्टरता, स्वार्थ और स्वस्थ समाज को बनाने वाले गुणों के विरोधी के रूप में है। यह विरोधियों के प्रति घृणा पैदा करता है। इसने अपने पवित्र नाम में किसी अन्य चीज की तुलना में सबसे अधिक अपराध किये हैं। छोटी–छोटी बातों पर संघर्ष हुए हैं।' वे मानते थे कि इन धार्मिक संकीर्णताओं को शिक्षा और आपसी समझदारी बढ़ा कर ही दूर किया जा सकता है। समाज में सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उनकी आपसी निर्भरता को बनाए रखना है।

मोतीलाल जी ने बताया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में छुआ–छूत अधिक है। वहां सामाजिक विभाजन अधिक जटिल है। उन्होंने अछूतों की भलाई, शराब तथा पर्दा प्रथा का विरोध करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि हमने बाल–विवाह को रोकने का प्रयास किया है। समाज के बुद्धिजीवियों के प्रयासो से आखिरकार शारदा बिल या बाल–विवाह रोक बिल 23 सितंबर 1929 को पारित हुआ। इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष तथा लड़की के लिए 14 साल रखी गई। एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ बिल पास होकर कानून बनना एक बड़ी सफलता थी। इससे आगे भी अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कानून बनाकर उन्हें कानूनी रूप से रोकने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मोतीलाल जी मानते थे कि राजनैतिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए क्योंकि एक स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ राजनीति संभव है। देश वास्तविक अर्थों में तभी स्वतंत्र हो पायेगा जब स्वस्थ समाज में रहने वाले लोग दिमाग से स्वतंत्र हो पायेंगे अर्थात् उनकी सोच किसी भी प्रकार की संकीर्णता या अंधविश्वास से ग्रसित नहीं होगी। उनके विचार स्वतंत्र होंगे। उनके विचार तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होंगे। वे अपने आधुनिक और तार्किक विचारों की अभिव्यक्ति तथा क्रियान्वयन स्वतंत्र रूप से कर पायेंगे। इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत रहें। वे सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों पर स्वयं जनता के बीच गए, उन्हें समझाने की कोशिश की, सभाएं की, तथा इन बुराईयों का कानूनी रूप से खंडन करवाने के लिए इनके विरूद्ध कानून बनवाने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही या अशिक्षित समाज में आम जन की सोच सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ जाती है। चेतना जागृत करने का सबसे कारगर उपाय शिक्षा ही होती है। सामाजिक बुराईयों को दूर करने में मोतीलाल जी के प्रयास और कार्य उल्लेखनीय हैं, उन्हें अपने इन कार्यों में काफी हद तक सफलता भी मिली।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Letter to Jawahar Lal Nehru, 16 November 1905, Moti Lal Nehru papers.
2. Speech on Budget Proposals for 1910-11, 25 April 1910; Abstract of the Proceedings of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, United Provinces of Agra and Oudh assembled for the purpose of making laws and regulations, 1910, Allahabad.
3. Views on the Revised Financial Statement, 1917-18, 13 March 1917, Proceedings of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, United Provinces of Agra and Oudh assembled for the purpose of making laws and regulations, 1917, Allahabad.
4. Letter to Bhagwan Das, 29 September 1918, Motilal Nehru Papers.
5. Letter to Jawahar Lal Nehru, 27 January 1927; Jawahar Lal Nehru Papers.
6. 'Split" in the Swarajist Ranks, The Pioneer, 14 February 1927.
7. On the Question of Rupee Ratio; The Search light, 18 February 1927, Interview to Press in reply to an article published in the Pioneer.
8. The Steel Industry (Protection) Bill, 16 February 1927. The Legislative Assembly Debates, Vol. I, 19th Jan to 21st February 1927, Delhi.
9. Letter to Jawahar Lal Nehru, 10 March 1927, Jawahar Lal Nehru Papers.

10. The Currency Bill, 12 March 1927, The Legislative Assembly Debates, Vol.II, 22nd Feb. to 14th March 1927, Delhi.
11. On the Launching of S.S. Jaladuta, 26 November 1927; Speech at Glasgow. The Bombay Chronicle, 28 November 1927.
12. The Reservation of the Coastal Traffic of India Bill, 13 September, 1928, The
13. Legislative Assembly Debates, Vol-III, 4th to 25th September 1928, Calcutta.
14. Interview to al-Ahram, Cairo, January 1928, Motilal Nehru Papers.
15. Presidential Address, Calcutta Congress, 29 December 1928, Report of the Forty-third session of the Indian National Congress, Calcutta, 1928.
16. Withdrawal of Protection from Tin-plate Industry, 24 September 1929. The
17. Legislative Assembly Debates, Vol. IV, 2nd to 26th September 1929, Simla, PP 1387-90.
18. Letter to Vithalbhai Patel, 4 November 1929, Motilal Nehru Papers.
19. On Representation from Agra Cloth Merchants, 19 May 1930, AICC Papers.
20. Resolution on Teaching of Ayurvedic and Unani systems of Medicines, 23 November 2011. Abstract of the Proceedings of the Council of His honour the Lieutenant Governor United Provinces of Agra and Oudh Assembled for the purpose of making laws and Regulations, 1911, Allahabad.
21. The United Province Medical Bil, 1916, 2 April 1917, Proceedings of the Council of His Honour the Lietuenant Governor United Provinces of Agra and Oudh Assembled for the purpose of making laws and Regulations, 1917, Allahabad.
22. Written and Oral Evidence Recorded by Moti Lal Nehru Before the Royal Commission on the Public Services in India, 4 April 1913; Appendix to the Report of the commissioners, Vol. IX; Minutes of Evidence relating to the Indian and Provincial civil Services taken at Lucknow from 31st March to 7th April 1913.
23. Speech at Rajputana, Central India and Ajmer Merwara political Conference; The Independent, 24 March 1921.
24. Establishment of a Military College, 19 February 1925; The Legislative Assembly Debates, Vol. V, Part II, 16th February to 6th March 1925, Delhi.
25. The Railway Budget List of Demands, 25 February 1925, The Legislative Assembly Debates, Vol. V, Part II, 16th February to 6th March 1925, Delhi.
26. Resolution Regarding The Establishment of a Library for the Legislative Council, 13 March, 1913, Abstract of the Proceedings of the Council of his Honour the Lieutenant Governor United Provinces of Agra and Oudh Assembled for the purpose of Making laws and Regulations, 1913, Allahabad.
27. Resolution Regarding Additional primary Schools, 13 March, 1913. Abstract of the Proceedings of the Council of his Honour the Lieutenant Governor United Provinces of Agra and Oudh Assembled for the purpose of Making laws and Regulations, 1913, Allahabad.
28. Resolution for the Enhancement of Financial grants to Women's Educational
29. Institutions, 13 March 1913. Abstract of the Proceedings of the Council of his Honour the Lieutenant Governor United Provinces of Agra and Oudh Assembled for the purpose of Making laws and Regulations, 1913, Allahabad.
30. Discussion on the United Provinces Municipalities Bill, 1915, proceedings of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, United Provinces Agra and Oudh Assembled for the purpose of making Laws and Regulations, 1916 (Allahabad).
31. Interview to Al Ahram, Cairo, January 1928; Motilal Nehru Papers.
32. Speech on Language Question, 30 December 1928, Report of the Forty Third Session of the Indian National Congress, Calcutta.
33. Letter to Ziauddin Ahmed, 31 July 1929; Motilal Nehru Papers.
34. Address to Bombay Students, 23 June 1930; The Leader.
35. Letter to Harrison Blair, 29 April 1899, Motilal Nehru Papers.
36. Letter to Prithinath Chak, 22 December 1899, Motilal Nehru Papers.
37. Letter to Jawahar Lal Nehru, 29 March 1903, Jawahar Lal Nehru Papers.
38. Speech delivered as President of the third United Provinces Social coference held at Agra in April 1909. The speech was published in the Indian Social Reformer, 18 April 1909.

39. Resolution regarding the appointment of a committee for Representation of different communities on Municipal Boards etc. passed in the proceedings of the council of his honour the Lieutenant Governor United Provinces of Agra and Oudh assembled for the Purpose of making Laws and Regulations, 1916, Allahabad.
40. Letter to Jawahar Lal Nehru, 10 March 1919, Jawahar Lal Nehru Papers.
41. Statement on Inter-Communal Unity, 6 October 1923, Printed in the Leader.
42. Comments on Communal Politics in Bengal and Madras, 17 July 1926, Printed in the Leader, 19 July 1926.
43. Presidential Address, Calcutta Congress, 19 December 1928; Report of the Forty Third session of the Indian National Congress, Calcutta, 1928.
44. The Hindu Child Marriage Bill; 23 September 1929; The Legislative Assembly Debates, Vol.IV, 2nd to 6th September 1929, Simla.